

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

क्रमांक एफ 27(61) ग्रावि-5/पीएमएवाई-जी./मैसन मिस्त्री/2015-16

जयपुर, दिनांक 31 मई 2019

जिला कलक्टर,
जिला समस्त, राजस्थान।

विषय :- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अन्तर्गत मैसन प्रशिक्षण आयोजित किये जाने के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय समसख्यक पत्र दिनांक 02.07.2018, 05.10.2018 एवं 11.01.2019 प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण अन्तर्गत प्रासंगिक पत्रों द्वारा मैसन प्रशिक्षण हेतु जिलेवार लक्ष्य आवंटित कर योजना के दिशा निर्देशानुसार प्रशासनिक मद से आयोजित किये जाने के विस्तृत निर्देश दिये गये है।


ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी परफोरमेन्स रेकिंग में भी मैसन प्रशिक्षण का मापदण्ड निर्धारित किया गया है। इस हेतु RMT / RPL प्रशिक्षण ICDSI से मान्यता प्राप्त संस्थाओं के माध्यम से आयोजित कराया जाना है, जिसमें आवास निर्माण किया जाना है। उक्त संबंध वर्ष 2019-20 हेतु आवंटित लक्ष्यों के विरुद्ध स्वीकृति जारी करते समय ही मैसन प्रशिक्षण हेतु जिले को आवंटित लक्ष्यों के अनुसार आवासों का चिन्हिकरण निम्नानुसार क्लस्टर में किया जावे:-

1. प्रति आवास निर्माण के दौरान 5 मैसन प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षित किया जावेगा, इस हेतु जिले को आवंटित लक्ष्यों में 5 का भाग देकर मैसन प्रशिक्षण हेतु चिन्हित किये जाने वाले आवास की संख्या की गणना की जावे। (संलग्न जिलेवार सूची)
2. मैसन प्रशिक्षण के दौरान लाभार्थियों के आवास निर्मित किये जावेंगे एवं प्रशिक्षण प्रदाता के द्वारा एक आवास पर 5 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जावेगा। साथ ही ट्रेनर के अतिरिक्त एक मास्टर ट्रेनर भी होगा, इसके मध्य नजर एक ही गांव/ ग्राम पंचायत में अर्थात् 5 आवास नजदीक - नजदीक हो के क्लस्टर बनाये जावे। इसके मद्देनजर प्रशिक्षण के दौरान निर्मित किये जाने वाले आवासों/लाभार्थियों को चिन्हित किया जावेगा।
3. इस हेतु चिन्हित आवासों के लाभार्थियों से सहमति पत्र भी प्राप्त किया जावे। उल्लेखनीय है ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार उसके बैंक खातों में आवास हेतु देय राशि 1,20,000 एक मुश्त हस्तान्तरित की जावे। जिससे आवास निर्माण हेतु आवश्यक सामग्री प्रशिक्षण के दौरान क्रय की जा सकें।
4. प्रशिक्षण हेतु चिन्हिकरण के समय ऐसे लाभार्थी जो वृद्ध, असहाय, एकल परिवार, नाबालिग आदि असमर्थ लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जावे।
5. आवास प्रशिक्षण के दौरान चिन्हित लाभार्थियों से सहमति प्राप्त कर निम्न प्रपत्र में विभाग को प्रस्ताव प्रेषित की जावे।

क.स.	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	चयनित क्लस्टर लाभार्थियों के नाम	PMAYG ID	स्वीकृति क्रमांक	लाभार्थी की PFMS से			विशेष विवरण/लाभार्थी की सहमति पत्र संलग्न करें
						सत्यापित बैंक खाता	खाता संख्या	बैंक का नाम	
1			1						
			2						
			3						
			4						
			5						
2			1						
			2						
			3						
			4						
			5						

6. उक्त के अतिरिक्त प्रशिक्षण मॉड्यूल के अनुसार आवास निर्माण हेतु नियोजित अकुशल श्रमिकों को महात्मा गांधी नरेगा से अनुमत 90 अकुशल मानव दिवसों का भुगतान भी समयबद्ध सुनिश्चित किया जावेगा। उल्लेखनीय है कि अकुशल श्रमिक जिसका आवास निर्माण के लाभार्थी के जॉब कार्ड अथवा अन्य जॉब कार्डधारी श्रमिक का नियमानुसार नियोजन भी किया जा सकता है।
7. ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के पृष्ठ संख्या 10 व 11 पर वर्णित Wage Compensation to the trainees shall be paid at the rates as decided by the State from admin fund. के अनुसार राज्य में प्रचलित वर्तमान दर 223/- रु. प्रतिदिवस के हिसाब से समयबद्ध 15-15 दिवस के अंतराल पर भुगतान सुनिश्चित किया जावे

अतः जिले को आवंटित लक्ष्यानुसार शतप्रतिशत मैसन प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्रामीण विकास भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार आयोजित कराना सुनिश्चित करावे।


(राजेश्वर सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. संयुक्त सचिव (ग्रा.आ) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।


स्टेट नोडल अधिकारी PMAY-G

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत मैसन प्रशिक्षण

कंसं	जिला	वर्ष 2019-20 के लक्ष्य	मैसन प्रशिक्षण के लक्ष्य	प्रशिक्षण हेतु आवश्यक आवासोकी संख्या	प्रत्येक ग्राम/ ग्रा.प. क्लस्टर स्तर पर आवश्यक क्लस्टर संख्या (5 आवासो के अनुसार)
1	2	3	4	5=Col 4/5	6=Col 5/5
1	AJMER	5924	322	64	13
2	ALWAR	4953	229	46	9
3	BANSWARA	41054	2409	482	96
4	BARAN	9392	530	106	21
5	BARMER	31486	1750	350	70
6	BHARATPUR	3469	205	41	8
7	BHILWARA	10630	632	126	25
8	BIKANER	12190	656	131	26
9	BUNDI	9803	560	112	22
10	CHITTORGARH	7272	435	87	17
11	CHURU	6227	452	90	18
12	DAUSA	4453	273	55	11
13	DHOLPUR	2216	152	30	6
14	DUNGARPUR	32156	1660	332	66
15	HANUMANGARH	6770	390	78	16
16	JAIPUR	5272	277	55	11
17	JAISALMER	6924	369	74	15
18	JALORE	13813	811	162	32
19	JHALAWAR	11102	647	129	26
20	JHUNJHUNU	426	31	6	1
21	JODHPUR	15871	840	168	34
22	KARALI	6309	379	76	15
23	KOTA	5419	318	64	13
24	NAGPUR	7768	477	95	19
25	PALI	8239	484	97	19
26	PRATAPGARH	15988	877	175	35
27	RAJSAMAND	5394	309	62	12
28	SAWAI MADHOPUR	5892	341	68	14
29	SIKAR	1315	74	15	3
30	SIROHI	8095	504	101	20
31	SRI GANGANAGAR	11310	637	127	25
32	TONK	10047	538	108	22
33	UDAIPUR	36821	2027	405	81
Total		364000	20596	4119	824